प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 01.12.2025

थाना व जनपद चंदौली

➡️ थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा एक बोलेरो वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 04 राशि गोवंश को बरामद कर 01 शातिर तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा गौ-तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गोवंश की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर(IPS) व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चंदौली,संजय सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनाँक-01.12.2025 को थाना चन्दौली पुलिस द्वारा वांछित, संदिग्ध व्यक्ति, अवैध शराब/अवैध गांजा व अवैध पशु तस्करी की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 01 वाहन बोलोरो थाना अलीनगर के तरफ से हाइवे रोड पकड़कर आ रहा है जिसमें वध हेतु गोवंशो बिहार ले जाने वाले है। उक्त सूचना के आधार पर थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा थाना गेट के सामने पहुँचकर हाईवे व सर्विस रोड पर वाहनो की चेकिंग करने लगे तथा कुछ वाहनों को रुकवाकर आवागमन को धीरे कर दिया गया कि कुछ समय पश्चात एक बोलोरो अलीनगर के तरफ से आती हुई दिखाई दी, वाहन चालक पुलिस बल को देखकर वाहन सर्विस रोड मोड़ पर सर्विस रोड से भागना चाहा कि पुलिस टीम द्वारा तत्परता से वाहन को रोक चालक को पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त की पहचान नाम राजेश शाह पुत्र रमायण शाह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी छाता थाना दुर्गावती जिला कैमूर बिहार के रुप में हुई। वाहन को गेट खोलकर चेक किया गया तो 04 राशि गोवंशो को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय चन्दौली पर मु0अ0स0 0347/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इस गोवंश को बाबतपुर वाराणसी से लादकर बिहार के रास्ते वध हेतु पाण्डुल पश्चिम बंगाल ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.राजेश शाह पुत्र रामायण शाह निवासी छाता थाना दुर्गावती जिला कैमुर बिहार उम्र करीब 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1.मु0अ0स0 0347/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अघि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0

बरामदगी का विवरण-
1.एक बोलोरो चार पहिया वाहन बिना नम्बर इ0नं0 6F94H92694 चेचिस नं0 MALXA26FK95J71565

2.04 राशि गोवंश

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण–

1.प्र0नि0संजय कुमार सिंह थाना व जिला चन्दौली।

2.उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिह चौकी प्रभारी कस्बा थाना व जिला चन्दौली।

3.उ0नि0 विनोद कुमार सिह थाना व जिला चन्दौली।

4.हे0का0 संतोष कुमार सिंह थाना व जिला चन्दौली।

5.का0 गौरव कुमार शुक्ला थाना व जिला चन्दौली।

यातायात पुलिस जनपद चंदौली

▶️ **यातायात माह नवंबर 2025 में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 23,190 वाहनों का चालान करते हुए 02,87,38,000/-रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया।**

▶️ **सम्पूर्ण यातायात माह में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हेलमेट न पहनने व सीट बेल्ट न पहनने वालो पर सबसे अधिक की गयी कार्यवाही।**

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कृष्णमुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी यातायात के पर्यवेक्षण में सत्य प्रकाश यादव, प्रभारी निरीक्षक यातायात मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल-23,190 वाहनों का चालान करते हुए 02,87,38,000/-रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,कृष्णमुरारी शर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी, सत्य प्रकाश यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस व जनपदीय पुलिस द्वारा सम्पूर्ण यातायात माह नवम्बर 2025 के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-12032

2.नो पार्किंग-2206

3.तीन सवारी-1158

4.जातिसूचक शब्दों का प्रयोग-113

5.सीट बेल्ट-430

6.गलत दिशा में वाहन चलाना-641
7.मल्टी टोन हार्न/हूटर-15
8.यातायात नियमों का उल्लंघन-902
9.गलत नंबर प्लेट-741
10.मदिरा पीकर वाहन चलाना-37
11.काली फिल्म-36
12.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग-155
13.सीज वाहन-572
14.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-741
15.क्षमता से अधिक सवारी बैठाना-120
16.स्टंट बाइकिंग-427
17.मागने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-1105
18.बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाना-400
19.मांगने पर परमिट सर्टिफिकेट ना दिखा पाना-157
20.मांगने पर फिटनेस सर्टिफिकेट ना दिखा पाना-180
21.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना दिखा पाना-180
22.अन्य धारा-842

यातायात नियमों के उल्लंघन में सम्पूर्ण यातायात माह नवंबर (01 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025) के विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-23,190
(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-02,87,38,000/-रुपये*